अध्याय-III
निगरानी

परियोजना के निष्पादन के दौरान उसकी प्रभावकारी निगरानी परियोजना के उद्देश्यों की प्रभावी व दक्ष उपलब्धि त्तथा आशायित गुणवत्ता, मात्रा व समयबद्धता सहित कार्य का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।

सर्वेक्षण के दौरान पाई गईं कमियों के कारणों के विश्लेषण हेतु (जैसा कि पिछले अध्याय 2 में चर्चा की गयी है) लेखापरीक्षा ने स्थापित निगरानी तंत्र तथा परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान प्रशासनिक मंत्रालयों/ सीपीएसईज़ द्वारा उनके अनुपालन की जांच की।

3.1 नियोजन चरण पर निगरानी

एमओपीएनजी तथा एमओपी/ एमओसी ने निर्देश दिए (क्रमशः दिनांक 26 सितंबर 2014 तथा 27 अक्टूबर 2014) कि 15 अगस्त 2015 तक शौचालयों का निर्माण पूर्ण कर लेने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सीपीएसईज़ निर्माण कार्यक्रम कि कड़ी निगरानी करें। सीपीएसईज़ को शौचालयों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए उनके चयनित विद्यालयों में जाना था (सितम्बर-अक्टूबर 2014) और दाखिले तथा स्थानीय हालातों के अनुरूप एम एच आर डी द्वारा उपलब्ध कराये गए शौचालय डिज़ाइन व आकार में सुधार करने का विकल्प था।

इस संबध में, एमओपी/ एमओसी ने सीपीएसईज़ द्वारा शौचालयों के निर्माण की ऑनलाइन निगरानी संगत चित्रों सहित सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड करने, सुपुर्दगी/ कार्यपूर्ति प्रमाणपत्रों, उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निर्मित शौचालयों के चित्रों के अपलोड करने के लिए एम एच आर डी पोर्टल के अलावा 'vidyutindia.in' नामक वेब पोर्टल शुरू किया जबकि एमओपीएनजी ने अलग पोर्टल न बनाकर एमएचआरडी का पोर्टल प्रयोग किया।

लेखापरीक्षा ने शौचालयों के निर्माण के समय निगरानी में निम्नलिखित कमियां पाईं:

3.1.1 विद्यालयों की पहचान में कमियां

एमएचआरडी ने अपने वेबसाइट पर 30 सितम्बर 2013 तक की विद्यालयों की राज्यवार सूची उपलब्ध शौचालयों तथा उनकी प्रयोगात्मकता की स्थिति सहित प्रदर्शित की। यह डाटाबेस एमएचआरडी ने राज्य सरकार प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गये फीडबैक से तैयार की थी। चूँकि समय बीतने के साथ शौचालयों की स्थिति में बदलाव आ सकता हैं,

अतः सीपीएसईज़ को शौचालयों की आवश्यकता की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करने का प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा (अक्टूबर/ दिसम्बर 2014) सुझाव दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएफसी तथा सीआईएल (सहायक कंपनी एसईसीएल) ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया और एमएचआरडी कि सूची का ही उपयोग कर लिया। अन्य सीपीएसईज़ ने सर्वेक्षण किया किंतु अपने द्वारा निर्माण हेतु चिन्हित सभी विद्यालयों को शामिल नहीं किया।[17]

एमओपीएनजी/ ओएनजीसी व एमओपी/ आरईसी ने कहा (07 सितम्बर 2018 तथा 05 फ़रवरी 2019) कि उन्होंने एमएचआरडी डाटाबेस के अनुरूप आवश्यकताओं पर विचार किया था। एमओपी/ पीजीसीआईएल ने कहा (14 अगस्त 2018) कि यद्यपि सभी विद्यालयों हेतु सर्वेक्षण किया गया था, पर समयाभाव के कारण सारी सर्वेक्षण रिपोर्टें नहीं बनाई जा सकीं। एनएचपीसी ने कहा (13 नवम्बर 2018) कि 2091 विद्यालयों के लिए सर्वेक्षण डाटा तुरंत उपलब्ध नहीं था। सीआईएल (सहायक कंपनी-एसईसीएल) ने कहा (21 जनवरी 2019) कि समयाभाव के कारन उन्होंने सर्वेक्षण करवाने में छूट प्राप्त की।

सर्वेक्षण के अभाव के कारण संसाधनों के इष्टतम उपयोग नहीं किया जा सका जैसा कि नीचे दिए गए दो मामलों में लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया:

(i) पीएफसी ने आन्ध्र प्रदेश में 8,100 विद्यालयों का चयन किया और विद्यालयों के निर्माण हेतु सर्वश्री हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) को कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया (फ़रवरी 2015)। सम्बंधित राज्य एजेंसी यथा आन्ध्र प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान (एपीएसएसए) के परियोजना निदेशक ने सूचित किया (23 मई 2015) कि पीएफसी द्वारा चयनित 2036 शौचालयों का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इन विद्यालयों में पहले से ही दो क्रियाशील शौचालय अर्थात बालकों तथा बालिकाओं के लिए एक-एक शौचालय प्रयोग में लाए जा रहे थे। तदनुसार, पीएफसी ने एचपीएल को परामर्श दिया (29 मई 2015) कि केवल उन्ही शौचालयों को पूर्ण किया जाए जहाँ निर्माण कार्य पहले ही शुरु हो चूका था। पीएफसी ने एपीएसएसए को कहा (2 जून 2015) कि इन 675 शौचालयों को उनकी आवंटन सूची से न हटाया जाए।

---

[17] ***ओएनजीसी ने 5,452 विद्यालयों में से 1773 विद्यालयों (33 प्रतिशत) का सर्वेक्षण किया; आरईसी ने 6,820 विद्यालयों में से 540 विद्यालयों (8 प्रतिशत) का सर्वेक्षण किया, एनएचपीसी ने 5,295 विद्यालयों में से 3,204 विद्यालयों (60 प्रतिशत) का सर्वेक्षण किया, पीजीसीआईएल ने 4,243 विद्यालयों में से 1,620 विद्यालयों (38 प्रतिशत) का सर्वेक्षण किया और सीआईएल (एसईसीएल के अलावा) ने 35,459 विद्यालयों में से 21,073 विद्यालयों (57 प्रतिशत) का सर्वेक्षण किया; एनटीपीसी ने केवल नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराई***

पीएफसी ने राज्य एजेंसियों के माध्यम से 367 शौचालयों का भी निर्माण किया जिनका निर्माण एसवीए के तहत पीएफसी द्वारा किया जाना आवश्यक नहीं था। अतः पीएफसी ने 1,042 शौचालयों पर ₹23.48 करोड़ का व्यय वहन करते हुए निर्माण कार्य किया जिनका एसवीए के तहत निर्माण नहीं किया जाना था लेखापरीक्षा में जांचे गए 2,036 शौचालयों में से क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान हमने देखा कि आवश्यकता की तुलना में शौचालयों की संख्या कम थी। अतः उपलब्ध सीमित संसाधनों का ईष्टतम उपयोग नहीं हुआ।

पीएफसी ने कहा (11 जनवरी 2018/ 27 जून 2018) कि चूँकि डाटा एमएचआरडी व राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराये गए थे, अतः उन्हें लगा कि राज्य एजेंसियां शौचालयों की आवश्यकता का बेहतर आकलन करने की स्थिति में होगी और इसलिए उन्होंने सर्वेक्षण नहीं किया।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि सीपीएसईज़ को एमएचआरडी डाटा में बदलाव हो चुकने की संभावना के प्रति आगाह किया गया था। यदि पीएफसी ने सर्वेक्षण किया होता, तो वह प्रारंभिक चरण में ही जरूरतमंद विद्यालयों की पहचान कर पाती और उपलब्ध सीमित संसाधनों का ईष्टतम उपयोग हो सकता था।

(ii) सीआईएल (सहायक कंपनी-एमसीएल) ने अपने द्वारा निर्माण हेतु चयनित 10,546 शौचालयों में से 8,654 शौचालयों (82 प्रतिशत) का सर्वेक्षण किया था। फिर भी एमसीएल ने 865 शौचालयों का निर्माण किया जिनकी सर्वेक्षण के अनुसार आवश्यकता नहीं थी और सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित किए गए 590 शौचालयों का निर्माण नहीं किया।

सीआईएल (सहायक कंपनी - एमसीएल) ने कहा (21 जनवरी 2019) कि सर्वेक्षण कार्य जल्दी निविदाकरण, अधिनिर्णय व कार्यपूर्ति पर सरकार द्वारा दर्शाए गए त्वरित रवैये के कारण किया गया था। अतः सर्वेक्षण दलों का गठन विभिन्न विभागों जैसे कि एचआर, वित्त, खनन, कार्मिक व पर्यावरण इत्यादि तथा सम्बंधित सिविल कार्य विभाग से किया गे जिससे विद्यालयों की वास्तविक संख्या का पता लगाने में समस्याएं उत्पन्न हुईं।

उत्तर इंगित करता है कि एमसीएल द्वारा विद्यालयों की पहचान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया में अपर्याप्ताएं थीं।

अतः दोनों मामलों में सीपीएसईज़ व सम्बंधित मंत्रालयों/ एमएचआरडी द्वारा अपर्याप्त निगरानी के परिणामस्वरूप पात्र विद्यालयों की पहचान हेतु अधूरे पहचान पूर्व सर्वेक्षण ही

जिससे एसवीए हेतु रखे गए संसाधनों का ईष्टतम उपयोग नहीं किया जा सका और उस अनुपात में एसवीए का वांछित परिणाम व निष्कर्ष प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।

3.1.2 आवश्यक शौचालयों का गलत आकलन

एसवीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं एवं बालकों पर एक शौचालय यूनिट होनी चाहिए और हर शौचालय में एक जल खंड (डब्ल्यूसी) और तीन मूत्रालय होने चाहिए।

सीपीएसईज़ द्वारा विद्यालयों में आवश्यक शौचालयों की संख्या का आकलन करने हेतु अपनाए जाने वाले मानकों के सम्बन्ध में उठाये गए प्रश्न पर, एम एच आर डी ने पुष्टि की (12 नवम्बर 2014) कि वे प्रत्येक विद्यालय में बालकों तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग कम से कम एक शौचालय यूनिट सुनिश्चित करें और 80 या ज़्यादा बालकों व बालिकाओं का दाखिला करने वाले शौचालयों की संख्या पर परिपत्र बाद में स्पष्ट किया जायेगा। इस महत्त्वपूर्ण मसले पर आगे कोई सूचना या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

विद्यालयों में विद्यमान क्रियाशील शौचालयों को अद्यतित न किये जाने के तथ्य सहित उपरोक्त तथ्य का अर्थ था (पैरा 3.1.1 देखें) कि सीपीएसईज़/ मंत्रालय दाखिलों के अनुरूप आवश्यक शौचालयों का आकलन/ निगरानी पर्याप्त रूप से नहीं कर सकीं। इसके परिणामस्वरूप, सीपीएसईज़ प्रत्येक विद्यालय में बालकों एवं बालिकाओं के लिए कम से कम एक शौचालय यूनिट निर्माण करने सम्बन्धी एमएचआरडी के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन नहीं कर सकीं।

2,048 विद्यालयों में से 1,967 सहशिक्षा[18] विद्यालयों के लेखापरीक्षा सर्वेक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाय कि:

- 99 सहशिक्षा विद्यालयों में कोई क्रियाशील शौचालय नहीं था
- 436 सहशिक्षा विद्यालयों में केवल एक शौचालय था

इस प्रकार, 535 (99+436) सहशिक्षा विद्यालयों (27 प्रतिशत) में चयनित सीपीएसईज़ ने आवश्यक शौचालय निर्मित नहीं किये। अतः इन विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालाय उपलब्ध करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

---

[18] यह विद्यालय इनमें बालकों एवं बालिकाओं के दाखिले के आधार पर सहशिक्षा विद्यालय माने गए हैं

3.2 निर्माण चरण पर निगरानी

एमओपी/ एमओपीएंडएनजी/ एमओसी ने (क्रमशः 26 सितम्बर 2014 और 27 अक्टूबर 2014) सीपीएसईज़ को शौचालयों के निर्माण की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट देने व लक्ष्य/ लक्षित तिथि की प्राप्ति में हुई चूक का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने को कहा। एमओपी/ एमओसी ने आगे निर्देश दिए (30 अक्टूबर 2014) कि शौचालयों के निर्माण की प्रगति पर उनकें दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी संगत जीओ-टैग्ड चित्र एमएचआरडी/ प्रशासनिक मंत्रालयों/ सीपीएसईज़ के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना वांछित था।

एनएचपीसी के अलावा चयनित सीपीएसईज़ ने एमएचआरडी, एमओपी और उनके सम्बंधित वेबसाइटो पर साप्ताहिक/ दैनिक प्रगति रिपोर्टें/ स्थल जांच रिपोर्टें और प्रगति की स्थिति अपलोड कर उपलब्ध नहीं कराई।

एमओपी/ एमओसी ने निर्देश दिए (24 जून 2015) कि एसवीए पर एमएचआरडी द्वारा रखे गए डाटा को 27 जून 2015 तक अद्यतित किया जाना आवश्यक था। उन्होंने 25 से 27 जून 2015 के दौरान एमएचआरडी पर समायोजन कार्य की पूर्ती सुनिश्चित करने हेतु सीपीएसईज़ को राज्य सरकार व एमएचआरडी के साथ संपर्क करने का भी परामर्श दिया। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि जहाँ निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ हो, वहाँ संबंधित सीपीएसईज़ 10 जुलाई 2015 तक शौचालय निर्माण का कार्य प्रतिबद्धतापूर्वक पूर्ण करें या संबंधित राज्य सरकार से परामर्श कर निर्माण कार्य एवं आवश्यक निधियाँ तुरंत राज्य सरकार एजेंसियों (एसजीएज) को हस्तांतरित कर दें। कैबिनेट सचिव ने (13 जुलाई 2015) सीपीएसईज़ को उनके द्वारा निर्मित किए जा रहे शौचालयों का कार्य 3 अगस्त 2015 तक पूर्ण करने और एसजीएज् के जिम्मे दिए गए कार्य की निगरानी करने का भी निर्देश दिया। 7 अगस्त 2015 को कैबिनेट सचिव ने सीपीएसईज़ को पुनः निर्देश दिया कि वे 10 अगस्त 2015 तक निर्माण कार्य पूर्ण करें।

सभी चयनित सीपीएसईज़ ने कुछ शौचालयों का निर्माण स्वयं किया और बकाया कार्य निधियों सहित एसजीएज को सौपा, जैसा कि तालिका 4 में विवरण दिया गया हैः

तालिका 4

सीपीएसईज़ द्वारा स्वयं निर्मित किए गए शौचालयों तथा एसजीएज को सौपें गए शौचालयों की संख्या का पृथक विवरण

क्र.स.	सीपीएसई	कुल निर्मित शौचालय (संख्या)	सीपीएसईज़ द्वारा स्वयं निर्मित शौचालय (संख्या)	(प्रतिशत)	एसजीएज को सौपे गए शौचालय	
					(संख्या)	(प्रतिशत)
1	पीएफसी	9,383	4,947	53	4,436	47
2	आरईसी	12,379	7,096	57	5,283	43
3	पीजीसीआईएल	9,983	8,453	85	1,530	15
4	एनटीपीसी	29,441	25,713	87	3,728	13
5	एनएचपीसी	7,547	6,655	88	892	12
6	ओएनजीसी	7,958	5,335	67	2,623	33
7	सीआईएल	54,012	26,537	49	27,475	51
	कुल	**1,30,703**	**84,736**	**65**	**45,967**	**35**

लेखापरीक्षा में शौचालयों के निर्माण के निष्पादन एवं पूर्णतः चरणों पर निम्नलिखित कमियाँ पाईः

3.2.1 शौचालयों का निर्माण पूर्ण होने की सूचना

एमओपी/ एमओसी ने घोषणा की (3 नवम्बर 2015) कि उनके अधीनस्थ चयनित छह सीपीएसईज़ ने अपने द्वारा चिन्हित सभी 1,22,745 शौचालयों का निर्माण सफलतापूर्वक तथा समय पर पूर्ण कर लिया था। ओएनजीसी ने भी घोषणा की कि उन्होंने निर्माण हेतु स्वयं के द्वारा चयनित सभी 7,958 शौचालयों का निर्माण कार्य 10 अगस्त 2015 तक कर लिया था। इस प्रकार, एमओपी/ एमओसी/ ओएनजीसी ने चयनित सात सीपीएसईज़ द्वारा 1,30,703 शौचालयों का निर्माण समय पर (अर्थात 15 अगस्त 2015) तक पूर्ण घोषित किया।

एमएचआरडी डाटा तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्टीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की स्वच्छता स्थिति रिपोर्ट (2016) के अनुसार, सीपीएसईज़ ने सभी अनुमोदित शौचालय 1 मार्च 2016 तक निर्मित कर लिए थे तथा सात सीपीएसईज़ द्वारा पूर्ण किए गए शौचालयों की संख्या 1,19,530 थी।

दोनो सूचित ऑकड़ों की तुलना ने इंगित किया कि मात्र ओएनजीसी के मामले में ही ऑकड़ों का मिलान होता था और बाकि छह सीपीएसईज़ के लिए, पूर्ण किए गए शौचालयों संबंधी एमओपी/ एमओसी के ऑकड़ों में 11,173 शौचालय अधिक दर्शाए गए थे।

पीएफसी, एनएचपीसी और एमओपी/ आरईसी ने कहा (जनवरी 2018 से फ़रवरी 2019) कि एमओपी तथा एमएचआरडी के वेबसाईटों पर दर्शाया गया डाटा विभिन्न एजेंसियों द्वारा रखा जा रहा था और इन वेबसाईटों पर अपलोड की गई सूचना पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। पीजीसीआईएल ने कहा (23 अप्रैल 2018) कि मामला अप्रैल 2018 में एमएचआरडी के समक्ष उठाया गया था। एमओपी/ एनटीपीसी ने कहा (26 मार्च 2019) कि एमएचआरडी के वेबसाईट के शुरु होने के बाद, एमओपी पोर्टल में डाटा अद्यतित नहीं किया गया था और इससे विसंगति हुई। पीएफसी पर एमओपी का उत्तर (15 जुलाई 2019) इस विषय पर मौन है।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि इन वेबसाईटों पर सूचना संबंधित सीपीएसईज़ द्वारा एमओपी के दिशानिर्देशजों के अनुपालन में अपलोड की गई थी परन्तु डाटा की विसंगति के संबंध में समस्या है। इसके कारण कार्य की प्रगति की भी गलत रिपोर्टिंग हुई है जैसा कि पैरा 2.1 में चर्चा की गयी है।

3.2.2 सीपीएसईज़ द्वारा स्वयं निर्मित किए गए शौचालयों के निर्माण की पूर्णता

यद्यपि सीपीएसईज़ ने शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण होना सूचित किया, तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीएसईज़ द्वारा स्वयं निर्मित किए गए शौचालयों के मामले में अधिकांश मामलों में कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे। उपलब्ध प्रमाणपत्रों की समीक्षा से पता चला कि शौचालयों की पूर्णता/ सुपुर्दगी[19] लक्षित तिथि अर्थात 15 अगस्त 2015 के बहुत बाद में थी, जैसा कि तालिका 5 में विवरण दिया गया है

तालिका 5

सीपीएसईज़ द्वारा स्वयं निर्मित शौचालयों की पूर्णता के विवरण

(ऑकड़े शौचालयों की संख्या दर्शाते हैं)

शौचालय पूर्णता अवधि	आरईसी	पीएफसी	पीजीसी-आईएल	एनएचपीसी	एनटीपीसी	ओएनजीसी	सीआईएल	कुल	%*
लेखापरीक्षा को दिया गया पूर्णता प्रमाणपत्र डाटा	6,802	4,747	3,506	2,792	-	4,522	11,362	33,731	40
15 अगस्त 2015 तक	143	1,333	1,643	2,072	-	1,589	4,402	11,182	33
15 अगस्त 2015 के बाद-3 नवम्बर 2015 तक	895	2786	1,566	531	-	2,152	4,196	12,176	36

[19] *सुपुर्दगी तिथि सामान्यतः पूर्णता तिथि से एक/दो दिन बाद होती है*

3 नवम्बर 2015 के बाद	5,764	628	297	189	-	781	2,764	10,423	31
अब तक (जनवरी 2019) लेखापरीक्षा को प्रमाणपत्र/ डाटा उपलब्ध न कराने के मामले	294	200	4,947	3,863	25,713	813	15,175	51,005	60
कुल शौचालय	**7,096**	**4,947**	**8,453**	**6,655**	**25,713**	**5,335**	**26,537**	**84,736**	

* 40 प्रतिशत व 60 प्रतिचत कम शौचालयों के सन्दर्भ में हैं, बकाया प्रतिशतता उन कुल शौचालयों के सन्दर्भ में है जिनके कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए थे।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि 60 प्रतिशत शौचालयों में लेखा परीक्षा को कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र नहीं उपलब्ध करए गए। 40 प्रतिशत बकाया मामलों में जहाँ पूर्णता प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए, वहाँ केवल 33 प्रतिशत मामलों में ही तय तिथि तक शौचालय पूर्ण किए जा सके।

चार्ट नंबर 2: सीपीएसई द्वारा स्वयं निर्मित किए गए शौचालयों की पूर्णता

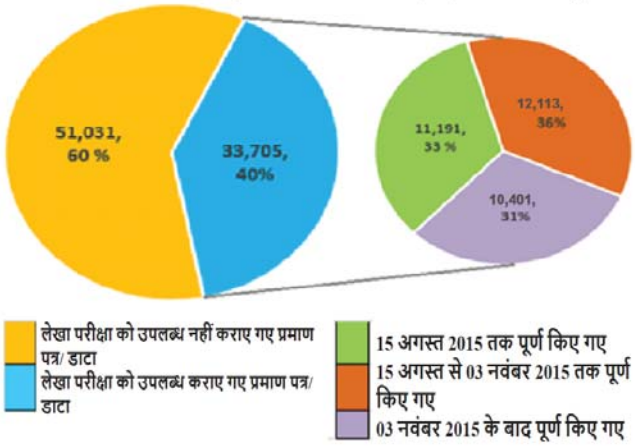

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने देखा कि पीएफसी, आरईसी तथा ओएनजीसी ने जनवरी 2015 - मार्च 2015 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ एमओयूज को अंतिम रुप दे दिया था। तत्पश्चात इन एजेंसियों ने शौचालयों के निर्माण हेतु अन्य एजेंसियों को संविदा प्रदान करने के लिए बोलियाँ आमंत्रित की। सात सीपीएसईज़ द्वारा की गई अधिनिर्णय गतिविधि में ही मई 2015 तक का समय लग गया। चूँकि निर्माण हेतु चार महीने का समय दिया गया था, इसलिए 15 अगस्त 2015 तक सारे शौचालय पूर्ण किए जाने का सरकार के निर्देश का अनुपालन सीपीएसईज़ द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका। फिर भी, सीपीएसईज़ ने 15 अगस्त 2015 तक सारे शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो जाना सूचित कर दिया, हालांकि ऐसा वास्तव में नहीं था।

एमओपी/ पीजीसीआईएल तथा आरईसी ने उत्तर दिया (14 अगस्त 2018 और 5 फरवरी 2019) कि सभी शौचालय 15 अगस्त 2015 से पहले भौतिक रुप से पूर्ण/ चालू हो गए थें, किंतु विद्यालय प्राधिकारियों ने उनके द्वारा देखी गई सारी कमियों के सुधार के बाद ही शौचालयों का अधिग्रहण स्वीकार किया। एनएचपीसी ने उत्तर दिया (13 नवम्बर 2018) कि

बकाया सुपुर्दगी प्रमाणपत्र कुछ समय में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिए जाएगें, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे थे। सीआईएल ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) (सहायक कंपनियों - एमसीएल, ड्ब्ल्यूसीएल, एनसीएल तथा सीसीएल की ओर से) कि उनके दलों द्वारा परियोजना की नियत्रित निगरानी की गई थी। सीआईएल (सहायक कंपनियाँ-बीसीसीएल, एसईसीएल और ईसीएल) के उत्तर में इस विषय पर कुछ नहीं कहा गया है। एमओपी/ एनटीपीसी ने उत्तर दिया (26 मार्च 2019) कि उन्होने 15 अगस्त 2015 तक सारे शौचालय पूर्ण कर लिए थे। एमओपी/ पीएफसी ने उत्तर दिया (15 जुलाई 2019) कि शौचालय लक्षित तिथि के भीतर पारिभाषिक रुप से पूर्ण कर लिए गए थे। एमओपीएनजी/ ओएनजीसी ने उत्तर दिया (6 अगस्त 2019) कि उनके पास इस प्रकार की परियोजनाओं में पूर्व अनुभव नहीं था और उन्होने प्रगति की निगरानी के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं।

उपरोक्त उत्तरों को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि हालांकि सीपीएसईज़ ने शौचालय पूर्ण घोषित किए थे, पर अधिकांश मामलों में लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए पूर्णता/ सुपुर्दगी प्रमाणपत्र लक्षित तिथि के बाद जारी हुए पाए गए। इसके अलावा, 60 प्रतिशत शौचालयों के सुपुर्दगी प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

3.2.3 एसजीएज को सौपे गए शौचालयों के निर्माण कार्य की पूर्णता

सात सीपीएसईज़ ने 01 जुलाई 2015 से 16[20] राज्यों में 45,967 शौचालयों का काम एसजीएज़ को सौपा था और शौचालयों के निर्माण के लिए उन्हें ₹ 575.67 करोड़ संवितरित किए। एमओपी/ एमओसी तथा एमओपीएनजी ने घोषित किया कि सात सीपीएसईज़ ने सारे शौचालयों का निर्माण कार्य (अर्थात एसजीएज को हस्तांतरित शौचालय मिलाकर) 15 अगस्त 2015 तक पूर्ण कर लिया था। किंतु यह दावा एसजीएज द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अनिवार्य उपयुक्त पूर्णता प्रमानपत्र तथा उपभोग प्रमाणपत्र (यूसीज) पर आधारित नहीं था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एसजीएज़ ने केवल ₹447.38 करोड़ (78 प्रतिशत) हेतु ही यूसीज़ प्रस्तुत किए (**अनुबंध III**) और लक्षित तिथि के तीन वर्ष बाद (जनवरी 2019) भी 11,586 शौचालयों हेतु बकाया ₹128.29 करोड़ (22 प्रतिशत) के लिए यूसीज़ प्रस्तुत नहीं किए। बकाया 34,381 शौचालयों के मामले में, यूसीज़ की तिथि 06 अक्टूबर 2015 से 26 मार्च 2018 के बीच थी।

---

[20] *उत्तर प्रदेश,पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, ओडिशा, मेघालय, गोवा, अरूणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़*

यूसीज़ में विसंगतियाँ थीं और उदाहरणार्थ एक मामला नीचे दिया गया है:

अलीराजपुर जिला, मध्य प्रदेश (जीओएमपी) में 777 शौचालयों के निर्माण हेतु, सीआईएल-सहायक कंपनी एनसीएल ने संबंधित एसजीए राज्य शिक्षा केंद्र, अलीराजपुर को ₹4.13 करोड़ संवितरित किए। सारी राशि के लिए 30 नवम्बर 2015 तक यूसीज़ उपलब्ध करा देने के बाद, एसजीए ने दो वर्षों के बीत जाने के बाद, यह कहते हुए ₹3.25 करोड़ की प्रतिपूर्ति की (13 नवम्बर 2017) कि पहले सूचित किए गए 777 शौचालयों के स्थान पर केवल 222 शौचालय ही वास्तव में निर्मित किए गए थे। सीआईएल (सहायक कंपनी-एनसीएल) ने उत्तर दिया (23 अगस्त 2018) कि उन्हें जीओएमपी के दावे का सत्यापन करने के लिए 222 शौचालयों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

प्रशासनिक मंत्रलयों/ सीपिएसईज़ ने उत्तर दिया (अगस्त 2018 से मार्च 2019)कि वे बकाया यूसीज़ के लिए एसजीएज़ के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं और बकाया पड़ी निधियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं।

यह इंगित करता है कि शौचालयों की पूर्णता पर डाटा पूर्णत: विश्वसनीय नहीं था।

अतः विद्यालयों तथा शौचालयों की आवश्यक मात्रा चिन्हित करने में अपर्याप्तताएं, फ़ीडबैक तंत्र, प्रगति की निगरानी तथा रिपोर्टिंग ने कुल मिलकर शौचालयों की वास्तविक पूर्णता की तुलना में पूर्ण किये गए शौचालयों की संख्या में विसंगति हुई।

3.3 शौचालयों के रखरखाव की निगरानी

उपयुक्त रखरखाव के द्वारा परिसंपत्तियों के गुणवत्ता एवं दीर्घ उपयोग काल सुनिश्चित करने के लिए, शौचालयों के पूर्ण करने के तीन से पांच वर्षों तक की न्यूनतम अवधि तक शौचालयों का रखरखाव व शौचालयों के परिचालन हेतु वित्तपोषण हेतु दिशानिर्देश बनाने की आवश्यकता थी। सीपीएसईज़ द्वारा राज्य/ जिला शिक्षा विभाग के साथ किये गए एमओयूज़ में कहा गया कि शौचालयों के रखरखाव की ज़िम्मेदारी राज्य/ जिला शिक्षा विभाग की होगी और रखरखाव और अबाधित जलापूर्ति हेतु वित्तपोषण सीपीएसईज़ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

सरकारी विद्यालयों में निर्मित शौचालयों की स्थिति की समीक्षा के बाद, एमओपी/ एमओसी ने सुझाव दिया (18 जुलाई 2016) कि सीपीएसईज़ शौचालयों के रखरखाव हेतु निधियां सीधे ग्रामीण शिक्षा समिति को दे दें और छह माह बाद इसकी समीक्षा करें। इसके अलावा, एमओपी/ एमओसी ने इच्छा व्यक्त की (06 जुलाई 2017) कि एसवीए के तहत निर्मित

शौचालयों के रखरखाव की लेखापरीक्षा प्रतिमाह की जाये और इस लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष आगामी माह की 10 तारीख तक साझा किये जायें। लेखापरीक्षा ने देखा कि चयनित सीपीएसईज़ ने इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये थे। प्रशासनिक मंत्रालयों ने भी सीपीएसईज़ द्वारा निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम नहीं उठाये हैं।

पैरा 2.2.9(i) में चर्चानुसार, 75 प्रतिशत चयनित शौचालयों का सफाईपूर्वक रखरखाव न रखे जाने के तथ्य के मद्देनज़र, यह निष्क्रियता स्पष्टतया गंभीर परिणामकारी प्रतीत होती थी।

3.4 फीडबैक तंत्र

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसईज़ को उनके द्वारा की जा रहीं सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं का बाहरी एजेंसियों द्वारा प्रभाव आकलन अध्ययन करवाना चाहिए। सीआईएल (सहायक कंपनियाँ एमसीएल, एसईसीएल, (मार्च 2017, 2018) और एनएचपीसी (सितम्बर अक्टूबर 2017) को छोड़कर, चयनित सीपीएसइज में से किसी से भी यह प्रभाव आकलन अध्ययन/ लाभार्थी सर्वेक्षण नहीं करवाया। सीआईएल (सहायक कंपनियाँ- एमसीएल, एसईसीएल) और एनएचपीसी ने सीमित संख्या में शौचालयों का लाभार्थी सर्वेक्षण किया । सर्वेक्षण रिपोर्टों ने जल तथा रखरखाव कठिनाईयों पर प्रकाश डाला।

एमओपीएनजी/ ओएनजीसी, एमओसी/ सीआईएल (सहायक कंपनियाँ- एनसीएल, बीसीसीएल तथा डब्ल्यूसीएल) तथा एमओपी/ पीजीसीआईएल,एनटीपीसी, पीएफसी और आरईसी ने लेखापरीक्षा के दौरान आश्वासन दिया (अगस्त 2018 से मार्च 2019) कि उनके द्वारा प्रभाव आकलन किया जाएगा। सीआईएल (सहायक कंपनियाँ-सीसीएल तथा ईसीएल) के उत्तरों में इस विषय पर कुछ नहीं कहा गया।